



2026:AHC-LKO:22952

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

लखनऊ

रिट - ए सं. - 3265/2026

कमलेश कुमार उर्फ कमलेश कुमार पाल

.....याचिकाकर्ता (गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य, प्रमुख सचिव, कृषि विपणन एवं विदेश व्यापार अनुभाग-1 लखनऊ के
माध्यम से और 2 अन्य

... प्रतिवादी (गण)

याचिकाकर्ता (गण) के अधिवक्ता : अखिलेश प्रताप सिंह, कुशाग्र कनोडियाप्रतिवादी (गण) के अधिवक्ता : मुख्य स्थायी अधिवक्ता, सुरेंद्र कुमार सिंह

न्यायालय सं. - 17**माननीय न्यायमूर्ति राजीव सिंह**

1. प्रतिवादी/विरोधी पक्ष गण संख्या 2 और 3 की ओर से अधिवक्ता श्री अनघ शुक्ला द्वारा आज दाखिल किया गया वकालतनामा अभिलेख पर ले लिया गया है।

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



2. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री बृजेंद्र सिंह, प्रतिवादी/विरोधी पक्ष संख्या 1 के विद्वान अपर मुख्य स्थायी अधिवक्ता, और प्रतिवादी/विरोधी पक्ष संख्या 2 और 3 के विद्वान अधिवक्ता श्री अनघ शुक्ला को सुना गया।

3. इस याचिका के माध्यम से, याचिकाकर्ता ने निम्नलिखित अनुतोष की प्रार्थना की है:-

"i. परमादेश की प्रकृति की एक रिट, आदेश या निर्देश जारी किया जाए, जिसमें प्रतिवादियों को, विशेष रूप से प्रतिवादी संख्या 2 को, यह आदेश दिया जाए कि वे तत्काल प्रभाव से याचिकाकर्ता के लिए ग्रेच्युटी की पूरी और सही राशि की पुनः गणना करें और उसे जारी करें; यह गणना 'ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम, 1972' के प्रावधानों के पूर्णतः अनुरूप होनी चाहिए, और इसमें याचिकाकर्ता की प्रारंभिक नियुक्ति की तिथि से लेकर सेवानिवृत्ति की तिथि तक की उसकी संपूर्ण निरंतर सेवा अवधि को विधिवत रूप से ध्यान में रखा जाना चाहिए; यह आदेश इस माननीय न्यायालय द्वारा कृषि उत्पादन मंडी समिति बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य वाद में दिए गए निर्णय के आलोक में जारी किया जाए यह निर्णय रिट याचिका संख्या 24841 (एसएस) / 2016 में दिनांक 19.07.2016 को दिया गया था जिसमें यह स्पष्ट रूप से निर्धारित किया गया था कि मंडी समिति के कर्मचारी 'ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम, 1972' के अंतर्गत ग्रेच्युटी प्राप्त करने के हकदार हैं।"

ii. परमादेश की प्रकृति की एक और रिट, आदेश या निर्देश जारी किया जाए, जिसमें प्रतिवादियों को यह आदेश दिया जाए कि वे याचिकाकर्ता को, गलत तरीके से रोकी



गई/विलंब से दी गई ग्रेच्युटी पर, अधिनियम की धारा 7(3ए) के पूर्ण अनुपालन में, वैधानिक ब्याज का भुगतान करें; अर्थात्, उस तिथि से जिस तिथि को ग्रेच्युटी देय और भुगतान योग्य हो गई थी, उस तिथि तक जिस तिथि को उसका वास्तविक भुगतान प्राप्त हुआ।

4. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया है कि याचिकाकर्ता सक्षम प्राधिकारी के समक्ष एक नया अभ्यावेदन प्रस्तुत करने के लिए तैयार हैं; इसलिए, उसे विरोधी पक्ष संख्या 2 अर्थात् निदेशक, राज्य कृषि उत्पादन मंडी परिषद, उत्तर प्रदेश किसान मंडी भवन, विभूति खंड, गोमती नगर, लखनऊ के समक्ष एक नया अभ्यावेदन प्रस्तुत करने की अनुमति दी जाए, और उन्हें निर्देश दिया जाए कि वे याचिकाकर्ता के उक्त अभ्यावेदन पर विचार करें और उसका शीघ्रतापूर्वक, जल्द से जल्द निस्तारण करें।

5. विद्वान स्थायी अधिवक्ता को इस बात पर कोई आपत्ति नहीं है कि उक्त अभ्यावेदन के निपटारे के लिए निर्देश जारी किया जाए।

6. इसलिए, उपरोक्त बातों को ध्यान में रखते हुए, वाद के गुण-दोष में प्रवेश किए बिना, मैं इस याचिका का अंतिम रूप से प्रवेश स्तर पर ही निस्तारण करता हूँ, और याचिकाकर्ता को यह स्वतंत्रता देता हूँ कि वह विरोधी पक्ष संख्या 2 अर्थात् निदेशक, राज्य कृषि उत्पादन मंडी परिषद, उत्तर प्रदेश, किसान मंडी भवन, विभूति खंड, गोमती नगर, लखनऊ के समक्ष एक नया अभ्यावेदन प्रस्तुत करे। इस अभ्यावेदन में वह अपनी शिकायतें और सभी उपलब्ध



तर्क व आधार प्रस्तुत कर सकता है, और यदि कोई हो, तो अपने पिछले अभ्यावेदन की प्रति भी संलग्न कर सकता है, जो अभ्यावेदन के निस्तारण के लिए आवश्यक हों। यह अभ्यावेदन आज से पंद्रह दिनों की अवधि के भीतर प्रस्तुत किया जाना चाहिए। यदि याचिकाकर्ता द्वारा उक्त निर्धारित समय के भीतर ऐसा अभ्यावेदन प्रस्तुत किया जाता है, तो संबंधित प्राधिकारी उस पर विचार करेगा और विधि के अनुसार, एक सुविचारित और तर्कसंगत आदेश द्वारा उसका कठोरता से निस्तारण करेगा। यदि आवश्यक हो, तो याचिकाकर्ता को सुनवाई का अवसर भी प्रदान किया जाएगा। यह प्रक्रिया शीघ्रतापूर्वक, और अधिमानतः इस आदेश की प्रमाणित प्रति प्राप्त होने की तिथि से दो महीने की अवधि के भीतर पूरी की जाएगी और इसके निर्णय की सूचना तत्काल याचिकाकर्ता को दी जाएगी।

7. यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि यदि कोई विधिक बाधा नहीं है, तो ग्रेच्युटी का भुगतान याचिकाकर्ता को उपर्युक्त निर्धारित समय के भीतर कर दिया जाएगा; ऐसा न होने पर, याचिकाकर्ता विलंबित भुगतान पर ब्याज पाने का हकदार होगा। तथापि, यदि ग्रेच्युटी के भुगतान में विलंब होता है, तो ब्याज के लिए याचिकाकर्ता के दावे पर भी सांविधिक प्रावधानों के आलोक में विचार किया जा सकता है।

(न्यायमूर्ति राजीव सिंह)

31 मार्च 2026

गौरा वी/-